न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 42/2016

उनवान

(1) नारायण पिता गौतम, जाति बलाई, निवासी रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(2) भगवती पिता गौतम, जाति बलाई, निवासी रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।
(3) छगन पिता गौतम, जाति बलाई, निवासी रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 23.3.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के पिता स्व. श्री गौतम पुत्र लालीया बलाई, निवासी रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा के खाते, कब्जे, आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि जमाबन्दी संवत् 2028 से 2030 में खाता संख्या 186 के सर्वे नम्बर 1805/346, रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 1808/386 रकबा 3.00 बीघा एवं सर्वे नम्बर 1829/346 रकबा 0.12 बिस्वा, कुल खेत नंग 3, कुल क्षेत्रफल 6 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम रोहिडा, तहसील गढी, ज़िला बांसवाडा राजस्थान में स्थित हैं एवं वादीगण के पिता स्व. श्री गौतम का देहान्त हो चुका है एवं उसके स्थान पर वादीगण खाते की कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है एवं आज भी वादीगण का कब्जा काश्त मौजुद है एवं श्रीमती वकत की मृत्यु हो चुकी है। सेटलमेन्ट के दौरान उक्त पुराने खाते के निम्नलिखित सर्वे नम्बर बने है पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 का कोई नया सर्वे नम्बर नहीं बनाया गया है एवं मूल सर्वे नम्बर 346 में से नया सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हैक्टेयर बनाया गया है, जिसमें 0.40 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की भूमि है एवं 0.03 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता के पुराने सर्वे नम्बर 1829/346 का भाग है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान बनाये गये नये सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के पिता के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 व 1829/346 की भूमि है, जिसे सेटलमेन्ट के दौरान नया सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हैक्टेयर बनाकर उसे श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड किया गया है, जो अवैध होकर काबिल निरस्ती है क्योंकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को वादीगण के पिता के खाते की कृषि भूमि को श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए सेटलमेन्ट के दौरान उक्त बनाये गये 1592 सर्वे नम्बर रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड करना आवश्यक है। इसी प्रकार वादीगण के पिता के पुराने खाते के सर्वे नम्बर की 346 कृषि भूमि 1808/386 रकबा 3.00 बीघा के निम्नलिखित नये सर्वे नम्बर बनाये गये है:–

पुराने सर्वे नम्बर	रकबा	नये सर्वे नम्बर	रकबा
1808/346	3 बीघा	1588	0.04
		1589	0.05
		1590	0.05
		1591	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

कुल खेत नंग 1, कुल रकबा 3 बीघा, कुल खेत नंग 4, कुल रकबा 0.28 है.

इस प्रकार वादीगण के पिता के पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 3 बीघा [illegible] बनाये गये 4 नये सर्वे नम्बर जिसका कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर बैठता है जबकि नियमानुसार पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 3 बीघा का कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर बनना चाहिए था, परन्तु सेहवन से सेटलमेन्ट के दौरान केवल 0.28 हैक्टेयर ही बनाया है। इस प्रकार उक्त पुराने सर्वे

Scanned by CamScanner

नम्बर का 0.20 हैक्टेयर भूमि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा कम कर दी गयी है एवं उक्त 0.20 हैक्टेयर भूमि सेटलमेन्ट के दौरान बनाये गये नये सर्वे नम्बर 1599 रकबा 0.48 हैक्टेयर में मिला दिया गया है, इस प्रकार नये सर्वे नम्बर 1599 में से वादीगण को 0.20 हैक्टेयर भूमि जो कि पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 में 0.20 हैक्टेयर भूमि जो कम की गई है वह इस सर्वे नम्बर में मिला दी गयी है और नये सर्वे नम्बर 1599 को श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार नये सर्वे नम्बर 1599, कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर की कृषि भूमि पर वादीगण अपने पिता के समय से काश्त करते चले आ रहे है और आज भी वादीगण का कब्जा काश्त मौजुद है, परन्तु सेहवन से सेटलमेन्ट अधिकारियों ने उक्त नये सर्वे नम्बर को श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड किया गया है जिसे नये सर्वे नम्बर 1599 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि में से 0.20 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण स्व. गौतम मूल खातेदार के उत्तराधिकारी व वारिसान है एवं स्व. गौतम के पुराना खाता संख्या 146 के उक्त बताये गये तीन सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2.10 बीघा, सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 3 बीघा एवं सर्वे नम्बर 1829/346 रकबा 0.12 बिस्वा की भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी आधार के गैर कानूनी तरीके से वादीगण के खाते व कब्जे की कृषि भूमि से बनाये गये नये सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि को श्री सरकार दर्ज की गयी है जो अवैध होकर काबिल निरस्ती है। उक्त नये सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व 0.03 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पुराने सर्वे नम्बर 1829/346 का भाग है। क्योंकि वादीगण के पुराने सर्वे नम्बर 1829/346 का नये सर्वे नम्बर 1586 रकबा 0.06 व 1587 रकबा 0.07 बनाया गया है। जो कि कुल 0.07 हैक्टेयर की भूमि बनती है जो कि उक्त बताये पुराने सर्वे नम्बर 1829/346 की भूमि 0.10 हैक्टेयर बनती है, इस प्रकार 0.03 हैक्टेयर की भूमि नये सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 व 1829/346 का भाग है, इसे सेटलमेन्ट के दौरान श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड कर लिया गया है जिसे निरस्त कर वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार नये सर्वे नम्बर 1599 जो कि श्री सरकार सेटलमेन्ट के दौरान दर्ज रिकॉर्ड की गयी है, उक्त नये सर्वे नम्बर में से वादीगण के पिता के पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 की 0.20 हैक्टेयर की भूमि मिला दी गयी है। इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 की 0.20 हैक्टेयर उसे नये सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.48 हैक्टेयर में से वादीगण को 0.20 हैक्टेयर की भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने हेतु यह वाद पत्र आप न्यायालय में पेश है। सेटलमेन्ट अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को वादी का खाते से नाम हटाने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है एवं वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी अभी 1 माह पूर्व हुई, जब उसे राजकीय कार्य हेतु राजस्व की नकले प्राप्त हुई तब उसे हल्का पटवारी ने बताया कि, तुम्हारे पुराने खाते के सर्वे नम्बर की भूमि को श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड सेटलमेन्ट के दौरान कर लिया गया है, इसलिये तुम्हे सक्षम न्यायालय में तुम्हारे खाते की कम की गयी भूमि जो श्री सरकार दर्ज की गयी है वह तुम्हारे नाम दुबारा दर्ज करने के लिये सक्षम न्यायालय में दावा करना पडेगा, इसलिये वादीगण का वाद हेतु सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पिता के खाते में जमाबन्दी संवत 2028 से 2030 में खाता संख्या 186 के सर्वे नम्बर 1805/346, रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा सर्वे नम्बर 1808/386 रकबा 3.00 बीघा एवं सर्वे नम्बर 1829 रकबा 0.12 बिस्वा, कुल खेत नंग 3 कुल क्षेत्रफल 6 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम रोहिडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा राजस्थान स्थित को ... सेटलमेन्ट के दौरान उक्त बताये गये नये सर्वे नम्बर में मिलाकर श्री सरकार दर्ज करने एवं इसकी जानकारी वादीगण को आज से 1 माह पूर्व होने से वादीगण का वाद 1 माह पूर्व उत्पन्न हुआ है इस हेतु वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि वादी के पुराने खातें की नकल अनुसार वादी के खातें में दर्ज बढ़ते कमांक 1805, 1808, 1829 के मूल नम्बर 346 है, परन्तु वक्त सेटलमेंन्ट उक्त बढ़ते नम्बरो का तुलनात्मक सूची में अंकन नही किया गया है, उसके मूल नम्बर 346 का ही अंकन किया गया है। वादी के खातें में दर्ज पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 3 बीघा, सर्वे नम्बर 1829/346 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 3 इन रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा के मुताबिक मेट्रीक प्रणाली अनुसार रकबा 0.96 हे0 बनता है। उसके मुताबिक वर्तमान में वादी के खातें में 0.28 हे0 रकबे का अमल हुआ है। तथा रकबा 0.68 हे0 भूमि कम दर्ज होना अवगत कराया। तत्पश्चात् वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक की बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की आर से प्रस्तुत वाद, संलग्न तुलनात्मक पत्र ग्राम रोहिड़ा, नक्षा सन् 1951, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 178 संवत 2067 से 2070, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 82 सवंत 2059 से 2062 की छाया प्रतिया तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का रोहिड़ा के मौजा रोहिड़ा के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का नया सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हे0 में से रकबा 0.40 हे0 तथा पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 3 बीघा का नया सर्वे नम्बर 1599 रकबा 0.48 हे0 में से रकबा 0.20 हे0 कुल किता दो रकबा 0.60 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का रोहिड़ा के मौजा रोहिड़ा के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का नया सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हे0 में से रकबा 0.40 हे0 तथा पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 3 बीघा का नया सर्वे नम्बर 1599 रकबा 0.48 हे0 में से रकबा 0.20 हे0 कुल किता दो रकबा 0.60 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तदाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 42/2016

उनवान

(1) नारायण पिता गौतम, जाति बलाई, निवासी रोहिड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(2) भगवती पिता गौतम, जाति बलाई, निवासी रोहिड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(3) छगन पिता गौतम, जाति बलाई, निवासी रोहिड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

~ प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

~ अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 23.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवार हल्का रोहिड़ा के मौजा रोहिड़ा के पुराने सर्वे नम्बर 1805/346 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा का नया सर्वे नम्बर 1592 रकबा 0.43 हे0 में से रकबा 0.40 हे0 तथा पुराने सर्वे नम्बर 1808/346 रकबा 1 बीघा का नया सर्वे नम्बर 1599 रकबा 0.48 हे0 में से रकबा 0.20 हे0 कुल किता दो रकबा 0.60 हे0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 23.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश) IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य	कुल	शून्य
कुल	शून्य		

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner